



केन्द्रीय विद्यालय संगठन

शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संस्थान

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

Under Ministry of Education, Govt. of India

मुख्यालय, नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi

website: www.kvsangathan.nic.in

E-mail : neelam.28@gov.in, दूरभाष /Tel : 91-11-26858565

18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

F.11014-1/2026-KVS/(Admn.-I) / 30-35

Date: 17.04.2026

उपायुक्त/निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ZIETs

विषय: "शिकायत निवारण दिवस" (SND) के माध्यम से कर्मचारियों की शिकायतों का मासिक निवारण ।

महोदया/महोदय,

आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठनकी अध्यक्षता में दिनांक 16.04.2026 को CPGRAMS मामलों की स्थिति की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की गई थी।

आयुक्त महोदय का ध्यान शिकायतों के समय पर निवारण से संबंधित मामले की ओर आकर्षित किया गया और उन्हें अवगत कराया गया कि शिक्षकों, कर्मचारियों और प्रधानाचार्यों की विभिन्न शिकायतें गंभीर रूप ले चुकी हैं, क्योंकि उनका निवारण उचित समय पर और उचित प्राधिकारी नहीं द्वारा किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का निवारण नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है और सीपीग्राम पोर्टल पर शिकायतों की संख्या के साथ-साथ अदालती मामलों की संख्या भी वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च स्तरीय अधिकारियों का अमूल्य समय बर्बाद होता है।

आयुक्त महोदय के संज्ञान में लाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को "शिकायत निवारण दिवस (एसएनडी)" मनाया जाता है। आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया कि शिकायतों का निवारण वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ऑनलाइन किया जाना चाहिए।

शिकायत निवारण दिवस पर सामान्यतः संबंधित क्षेत्र के उपायुक्त उपस्थित होंगे । अपरिहार्य परिस्थितियों में सहायक आयुक्त/प्रशासनिक अधिकारी (उपायुक्त द्वारा नामित क्षेत्रीय शिकायत निवारण अधिकारी) कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करेंगे ।

उपरोक्त जानकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी केंद्रीय विद्यालयों में कार्मिकों की जानकारी के लिए परिचालित की जानी चाहिए।

भूषदीय,
07/11

(नागेंद्र गोयल)

संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)

वितरण:-

1. निजी सहायक, आयुक्त, केविएस(मु0)
2. निजी सहायक, अपर आयुक्त (प्रशासन/शैक्षिक) केविएस(मु0)
3. संयुक्त आयुक्त (वित्त/शैक्षिक/प्रशिक्षण/कार्मिक) केविएस(मु0)
4. उपायुक्त (वित्त/शैक्षिक/प्रशिक्षण/प्रशासन)
5. सहायक आयुक्त (सूचना प्रकोष्ठ) केविएस वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए



केन्द्रीय विद्यालय संगठन
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग,
नई दिल्ली 110 016
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016
Fax: 26514179 फोन TEL: 26858570
website: www.kvsangathan.nic.in

F.11014-1/2026-KVS/(Admn.-I) / 30 - 35

Date: 17.04.2026

The Deputy Commissioner/Director
Kendriya Vidyalaya Sangathan
All Regional Offices/ZIETs.

Subject: Monthly Redressal of grievances through Grievance Redressal Day.

Madam/Sir,

A meeting was held on 16.04.2026 under the Chairmanship of Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan to review the status of CPGRAMS matters.


The matter pertaining to timely redressal of grievances have engaged the attention of the Commissioner, KVS and it has been observed that various grievances of teachers, staff, and Principals have taken glaring forms because they could not be redressed at the appropriate stage and time by the appropriate authority. Non-redressal of grievances within time-limit results dis-satisfaction among employees and increased number of grievances on CPGRAMS portal as well as court cases, resulting in wastage of valuable time of the officers at higher level.

It was informed to the Commissioner, KVS that "Shikayat Nivaran Diwas (SND)" is being observed every 2nd Saturday of every Month at Regional Office level to address the grievances of the employees under their jurisdiction. The Commissioner, KVS directed that grievances should also be addressed online through Video Conference link.

Normally Deputy Commissioner of the concerned region supposed to attend Shikayat Niwaran Diwas. In unavoidable circumstances Assistant Commissioner/Administrative Officer (Regional Grievance Redressal Officer as designated by the Deputy Commissioner) shall attend the grievances of the staff.

The above information should be circulated to all Kendriya Vidyalayas under your jurisdiction for information of all employees.

Yours faithfully,



(Nagendra Goyal)

Joint Commissioner (Pers)

Distribution:-

1. PS to the Commissioner, KVS.
2. PS to the Additional Commissioner (Admn./Acad.), KVS.
3. Joint Commissioner(Fin./Acad./Training/Pers.), KVS
4. Deputy Commissioner(Fin./Acad./Training./Admn.), KVS
5. The Assistant Commissioner (IT Cell), KVS for uploading on KVS website.